भाग–सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

24.(1)सेवा में किसी पद पर व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2)–इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं:–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड(रुपया)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रुपया)
राजस्व निरीक्षक	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25.(1)फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे;

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देष न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का,जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग–आठ अन्य उपबन्ध

संवर्ग का विस्तार

26. सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बंध में एक सामान्य संवर्ग होगा और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

स्थानान्तरण

27. किसी उप जिला(सब डिवीजन) के भीतर राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण उपजिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिले के भीतर एक उपजिला से दूसरे उपजिला में स्थानान्तरण उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। किसी मण्डल के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण उस मण्डल के आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा जिससे कि किसी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या परिवर्तित न